



Stop Corona:  
Wash your hands  
Wear Mask  
Maintain Social Distance

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI: DELHI JAL BOARD  
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (RR)  
ROOM NO. 311-A, VARUNALAYA PHASE-II,  
KAROL BAGH, DELHI-110005

No.DJB/F.1 (47)/DD(RR)/2023/ **D-166**

Dated :- **06-07-2023**

Please find enclosed herewith the copy of Gazette notification dated 21.06.2023 of Recruitment Rules for the post of **Draftsman Grade-III** for necessary action and record.

Encl: As above


  
(JOGINDER SINGH)  
DEPUTY DIRECTOR (RR)

**DD(T)**: Alongwith copy of above said notification for the post of Draftsman Grade-III for record and necessary action. In case of any discrepancy is found in the RRs, same may be intimated to this office.

Copy to:

1. Director (A&P): For kind information, please.
- ✓ 2. EE(EDP): Alongwith copy of above said notification for the post of Draftsman Grade-III for uploading on website of Delhi Jal Board.

Addl. Chief Engineer (Project)-I  
EDP Cell, Delhi Jal Board, GNCTD  
Dy. No. **1912** dt. **06-07-23**  
(05:10 PM)

  
(JOGINDER SINGH)  
DEPUTY DIRECTOR (RR)

Reg-I

  
**06-07-2023**  
Ashok Kumar  
Executive Engineer (EDP)

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246833  
SG-DL-E-27062023-246833असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]	दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 113
No. 197]	DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945	[N. C. T. D. No. 113

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जून, 2023

फा. सं. 16 (492)/श०वि०/डब्ल्यू/2015/892.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22.01.1981 की दिल्ली अधिसूचना संख्या फा० 09/41/80-एलएसजी/594 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III पद की भर्ती पद्धति तथा पदोन्नति के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (I) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III के पद की भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2023 कहा जाये।

(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।



2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं:- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
  - (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा।

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/ है तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. छूट प्रदान करने की शक्ति के प्रावधान :-जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

**"अनुसूची"**

1.	पदनाम	:	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III
2.	पदों की संख्या	:	77 (2023)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ग"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25,500-81,100/- रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसरण में अधिकतम आयु सीमा विभागीय उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) <u>टीप -</u> आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञाति होगी।

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	: अनिवार्य :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन/राष्ट्रीय प्रशिक्षु व्यवसाय प्रमाणन। <u>वांछनीय :-</u> ऑटो सीएंडी में प्रमाणन पाठ्यक्रम।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	: लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष टीप- परिवीक्षा की अवधि पूर्ण करने के लिए संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह अथवा अधिक की अवधि का प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूर्ण करना।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: सीधी भर्ती द्वारा। टीप: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त। पद को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है। (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारी। (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता रखने वाले।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	: लागू नहीं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: श्रेणी ग विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण हेतु) 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियंता (सिविल), दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल), दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राजेश कुमार, उप सचिव (जल)



## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 21st June, 2023

**F. No. 16(492)/UD/W/2015/892.**—In exercise of the Powers conferred under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Notification No. F.9/41/80-LSG-594 dated 22<sup>nd</sup> January 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Delhi Water Board hereby makes the regulations regarding the method of recruitment and promotion to the post of Draftsman Grade III in Delhi Water Board, hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Draftsman Grade III' Recruitment and Promotion Regulations, 2023.  
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of posts, classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification:-** No person;
  - a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
  - b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
 Shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
 Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Power to Relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

## SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	Draftsman Grade-III.
2.	Number of Post.	:	77 (2023) Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	:	Category 'C'.
4.	Level in the pay matrix.	:	Level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix
5.	Whether selection or non-Selection post.	:	Not Applicable
6.	Age limit for direct Recruits.	:	Between 18 to 27 years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instruction/orders issued by the Central Government).  <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.
7.	Educational and other qualification required for direct Recruits.	:	<b><u>ESSENTIAL:-</u></b>  (i) 10 <sup>th</sup> passed from a recognized School/Board/University.

			(ii).National Trade Certification/ National Apprenticeship Trade Certification in draftsman (Civil) from a recognized institution.  <b>Desirable: -</b> Certification course in Auto CAD
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	:	Not Applicable
9.	Period of probation, if any.	:	Two years  <b>Note :</b> Successful completion of the training of at least 2 weeks duration or more as prescribed by the Cadre authority shall be mandatory for completion of probation.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	:	By direct recruitment.  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government/ State Government/ Union Territories :  A: Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department  B. Possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruit under column No. 7.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	:	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	:	Category 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):  1. Director (Admn. &Personnel), DJB- Chairman. 2. Superintendent Engineer (Civil), DJB – Member. 3. Assistant Commissioner (Water), DJB- Member
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

RAJESH KUMAR, Dy. Secy. (Water)